State Level Convention on
Social Security for the Unorganised Workers

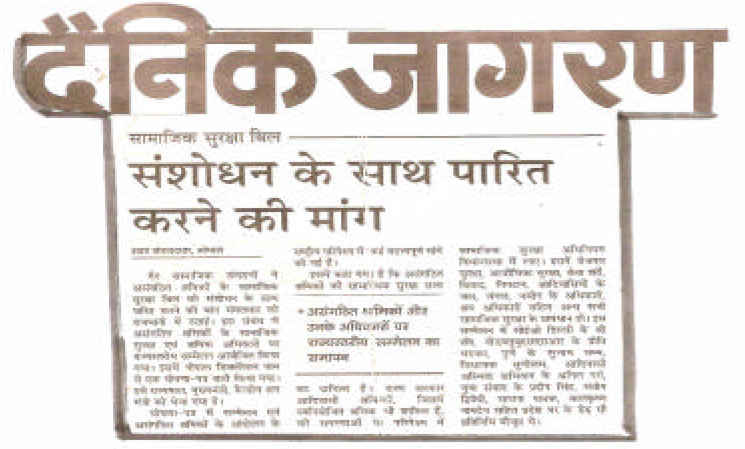

दैनिक जागरण

सामाजिक सुरक्षा बिल

संशोधन के साथ पारित करने की मांग

- असंगठित श्रमिकों और उनके अधिकारों पर राज्यस्तरीय सम्मेलन का समापन

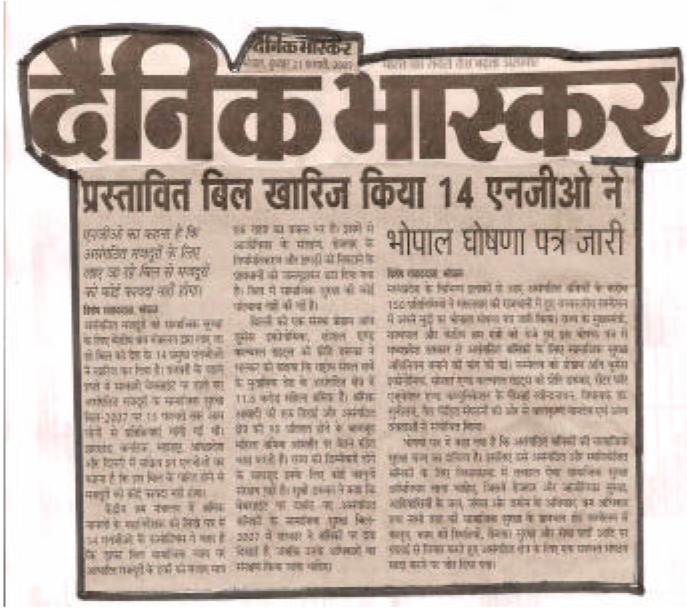

दैनिक भास्कर

प्रस्तावित बिल खारिज किया 14 एनजीओ ने

भोपाल घोषणा पत्र जारी

WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2007
Hindustan Times

Demand for State-level social security Act

HT Correspondent
Bhopal, February 20

A DEMAND for State-level social security act with necessary provisions for workers of unorganised sector was raised strongly at a convention on social security and labour rights organised in the City by several voluntary organisations.

A 'Bhopal declaration' was released at the conclusion of the convention that included several other demands apart from that of the social security act.

The copies of the declaration will be sent to the Governor, Chief Minister and Union Labour Minister. The 'Bhopal declaration' says that since the social security of the workers of unorganised sector was the responsibility of State Government, it should come out with a comprehensive Act in this regard that would include employment security, livelihood security, service rules, dispute settlement, rights of tribals on water, forest and land, labour rights and others.

The declaration also demands unemployment allowance, old age benefits, pension and accident benefits in case of untimely death, provision of medical and health security and others.

The declaration also insists that the government bear the entire financial burden of social security and not give it to any insurance company.

Representatives of various NGOs addressed the inaugural session of the convention.

Those who spoke included Samajwadi Party MLA Dr Sunilam, Anil Garg of Adivasi Asmita Abhiyan, Pradeep Singh of Yuva Samvad, Balkrishna Namved of Gas Survivors' Organisation, Subhash Dhamma of Pune, Preeti Dharuka and Ravi from Delhi.

About 150 representatives from Madhya Pradesh also participated in the programme.

The programme was conducted by Upasana Behar of Yuva Samvad.

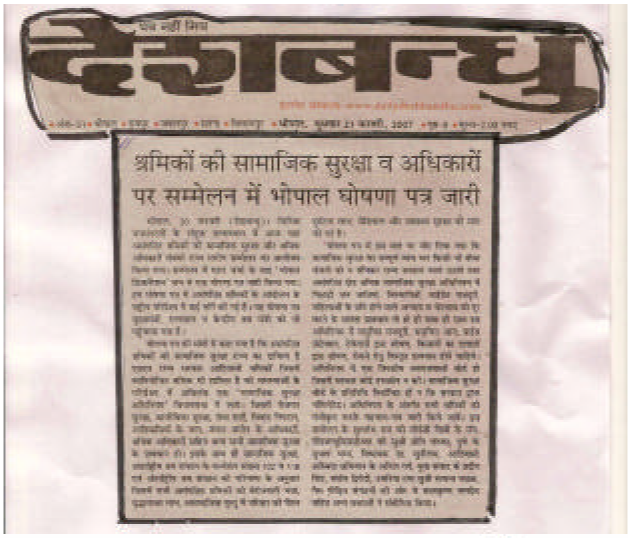

पत्र नहीं मित्र
देशबन्धु

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व अधिकारों पर सम्मेलन में भोपाल घोषणा पत्र जारी

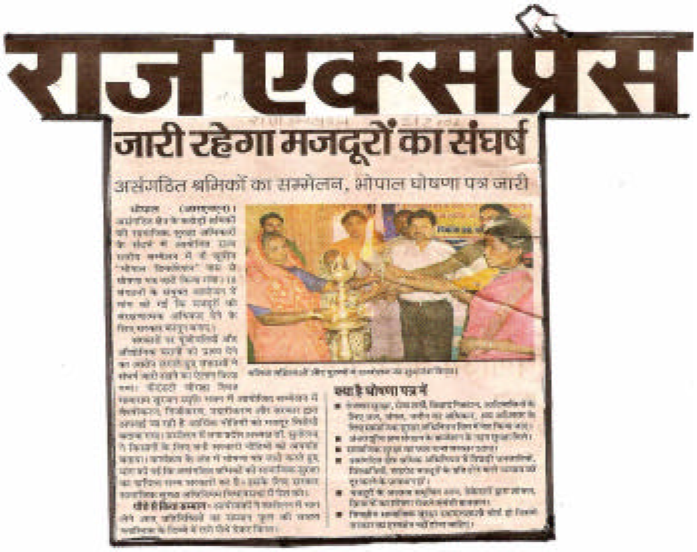

राज एक्सप्रेस

जारी रहेगा मजदूरों का संघर्ष

असंगठित श्रमिकों का सम्मेलन, भोपाल घोषणा पत्र जारी

क्या है घोषणा पत्र में

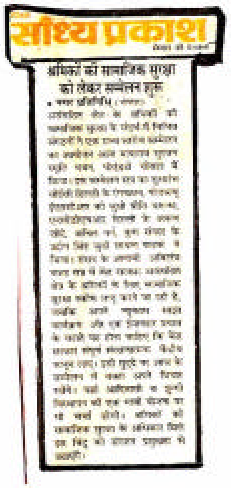

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर सम्मेलन शुरू

• नगर प्रतिनिधि

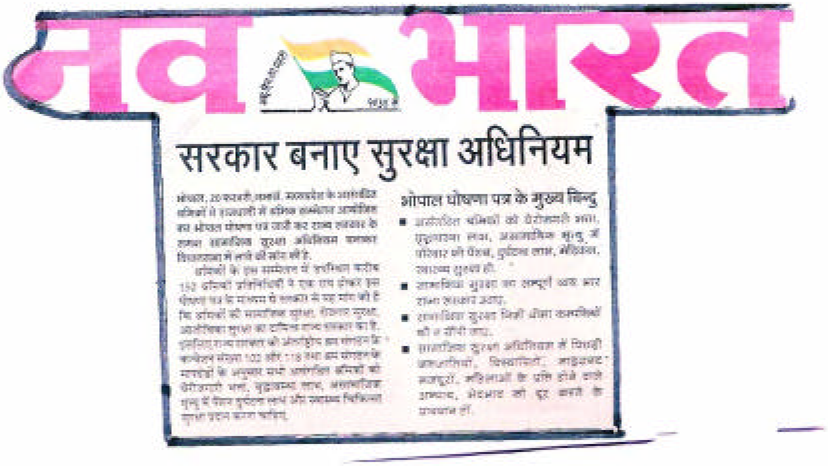

नव भारत

सरकार बनाए सुरक्षा अधिनियम

भोपाल घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु

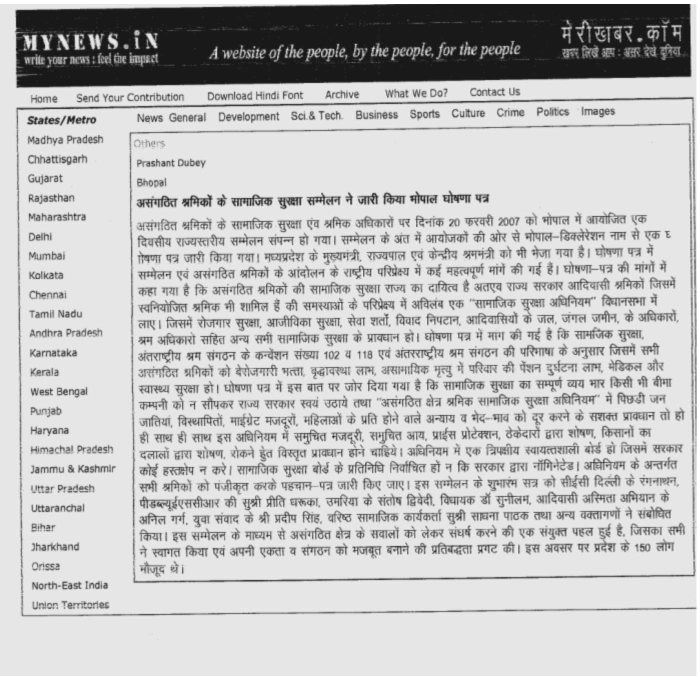

MYNEWS.iN
write your news : feel the impact
A website of the people, by the people, for the people
मेरीखबर.कॉम
खबर लिखें आप : असर देखे दुनिया
Home
Send Your Contribution
Download Hindi Font
Archive
What We Do?
Contact Us
States/Metro
Madhya Pradesh
Chhattisgarh
Gujarat
Rajasthan
Maharashtra
Delhi
Mumbai
Kolkata
Chennai
Tamil Nadu
Andhra Pradesh
Karnataka
Kerala
West Bengal
Punjab
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu & Kashmir
Uttar Pradesh
Uttaranchal
Bihar
Jharkhand
Orissa
North-East India
Union Territories
News General
Development
Sci.& Tech.
Business
Sports
Culture
Crime
Politics
Images
Others

Prashant Dubey

Bhopal

असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन ने जारी किया भोपाल घोषणा पत्र

असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एंव श्रमिक अधिकारों पर दिनांक 20 फरवरी 2007 को भोपाल में आयोजित एक दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन के अंत में आयोजकों की ओर से भोपाल–डिक्लेरेशन नाम से एक ोषणा पत्र जारी किया गया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं केन्द्रीय श्रममंत्री को भी भेजा गया है। घोषणा पत्र में सम्मेलन एवं असंगठित श्रमिकों के आंदोलन के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कई महत्वपूर्ण मांगें की गई हैं। घोषणा–पत्र की मांगों में कहा गया है कि असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा राज्य का दायित्व है अतएव राज्य सरकार आदिवासी श्रमिकों जिसमें स्वनियोजित श्रमिक भी शामिल हैं की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में अविलंब एक "सामाजिक सुरक्षा अधिनियम" विधानसभा में लाए। जिसमें रोजगार सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा, सेवा शर्तों, विवाद निपटान, आदिवासियों के जल, जंगल जमीन, के अधिकारों, श्रम अधिकारों सहित अन्य सभी सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान हों। घोषणा पत्र में मांग की गई है कि सामजिक सुरक्षा, अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 102 व 118 एवं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की परिभाषा के अनुसार जिसमें सभी असंगठित श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था लाभ, असामायिक मृत्यु में परिवार की पेंशन दुर्घटना लाभ, मेडिकल और स्वास्थ्य सुरक्षा हो। घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा का सम्पूर्ण व्यय भार किसी भी बीमा कम्पनी को न सौंपकर राज्य सरकार स्वयं उठाये तथा "असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम" में पिछडी जन जातियां, विस्थापितों, माईग्रेट मजदूरों, महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय व भेद–भाव को दूर करने के सशक्त प्रावधान तो हो ही साथ ही साथ इस अधिनियम में समुचित मजदूरी, समुचित आय, प्राईस प्रोटेक्शन, ठेकेदारों द्वारा शोषण, किसानों का दलालों द्वारा शोषण, रोकने हुेत विस्तृत प्रावधान होने चाहियें। अधिनियम में एक त्रिपक्षीय स्वायत्तशाली बोर्ड हो जिसमें सरकार कोई हस्तक्षेप न करे। सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि निर्वाचित हों न कि सरकार द्वारा नॉमिनेटेड। अधिनियम के अन्तर्गत सभी श्रमिकों को पंजीकृत करके पहचान–पत्र जारी किए जाए। इस सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को सीईसी दिल्ली के रंगनाथन, पीडब्ल्यूईएससीआर की सुश्री प्रीति धरूका, उमरिया के संतोष द्विवेदी, विधायक डॉ सुनीलम, आदिवासी अस्मिता अभियान के अनिल गर्ग, युवा संवाद के श्री प्रदीप सिंह, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री साधना पाठक तथा अन्य वक्तागणों ने संबोधित किया। इस सम्मेलन के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के सवालों को लेकर संघर्ष करने की एक संयुक्त पहल हुई है, जिसका सभी ने स्वागत किया एवं अपनी एकता व संगठन को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता प्रगट की। इस अवसर पर प्रदेश के 150 लोग मौजूद थे।